भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई–न्यूज़लैटर

फरवरी, 2020

मुख्य बातें

डॉ. आर.एस. शर्मा, अध्यक्ष, भादूविप्रा द्वारा नववर्ष के अवसर पर भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में संबोधन

1. विनियम

1.1 भादूविप्रा ने 01.10.2020 को प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के लिए टैरिफ आदेश, इंटरकनेक्शन विनियम और सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 के लिए संशोधन जारी किए।

भादूविप्रा ने 3 मार्च 2017 को प्रसारण और केबल क्षेत्र में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के लिए नया विनियामक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। इस फ्रेमवर्क में प्रसारण सेवाएं मुहैया कराने के लिए दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017 शामिल हैं। इस फ्रेमवर्क को मार्च 2017 में अधिसूचित किया गया था। हालांकि, उक्त विनियमों के खिलाफ प्रस्तुत कानूनी चुनौतियों के चलते, इसे कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 29 दिसंबर 2018 से लागू किया गया।

2. प्राधिकरण ने विशेष रूप से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया और तदनुसार नए विनियामक फ्रेमवर्क के कुछ प्रावधानों में संशोधन किए। प्रसारकों द्वारा ए–ला–कार्टे चैनलों के योग की तुलना में बुके के निर्माण में भारी छूट देने के मुद्दे का समाधान करने के लिए, प्राधिकरण ने निम्नलिखित दो शर्तें निर्धारित की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ए–ला–कार्टे चैनलों की कीमतों को लेकर कोई भ्रम न पैदा हों: –

1) बुके में शामिल पे चैनलों की ए–ला–कार्टे दरों का योग (एमआरपी) किसी भी मामले में, उस बुके की दर से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगा, जिसमें ये पे चैनल शामिल हैं; तथा

2) बुके में शामिल प्रत्येक पे चैनल की ए–ला–कार्टे दरें (एमआरपी) किसी भी स्थिति में बुके के पे चैनल के औसत दर से तीन गुना से अधिक नहीं होंगी, जिसमें इस तरह के पे चैनल शामिल हैं।

इसके अलावा, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि केवल उन्हीं चैनलों को प्रसारकों द्वारा प्रस्तुत बुके में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनका एमआरपी 12 रु. तक है।

3. भादूविप्रा ने विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जांच की है और तदनुसार, प्रतिमाह कर को छोड़कर अधिकतम 130 रु. के एनसीएफ में 200 चैनलों के प्रावधान को अनिवार्य बनाया। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनिवार्य घोषित किए गए चैनलों को एनसीएफ में चैनलों की संख्या में नहीं गिना जाएगा। डीपीओ को यह भी अधिदेश दिया गया कि वे अपने प्लेटफार्म पर उपलब्ध सभी चैनलों को उपलब्ध कराने के लिए 160 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं लेंगे।

4. उपभोक्ताओं ने यह भी बताया कि डीपीओ एक से अधिक टीवी वाले घरों से एनपीएफ के रूप में बहुत ज्यादा शुल्क ले रहे हैं। भादूविप्रा ने फैसला किया है कि एक से अधिक वाले घरों के मामले में, जहां एक व्यक्ति के नाम पर एक घर में एक से अधिक टीवी कनेक्शन हैं, दूसरे और अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए घोषित एनसीएफ का अधिकतम 40 प्रतिशत शुल्क लिया जा सकेगा। प्राधिकरण ने डीपीओ को लंबी अवधि के सब्सक्रिप्शन पर छूट देने की भी अनुमति दी है जो 6 महीने या उससे अधिक के लिए है।

5. भादूविप्रा ने डीपीओ द्वारा वसूले जा रहे भारी कैरिज शुल्क के संबंध में प्रसारकों की चिंता पर भी ध्यान दिया है। भारी कैरिज शुल्क से संबंधित चिंता का समाधान करने के लिए, प्राधिकरण ने अधिदेश दिया है कि एमएसओ, हिट्स ऑपरेटरों, आईपी टीवी सेवा प्रदाताओं के पास राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में बड़ा लक्ष्य बाजार नहीं होगा, जैसा भी मामला हो। इसके अलावा, देश में चैनल को कैरी करने के लिए एक महीने में प्रसारक द्वारा एक डीपीओ को देय कैरिज शुल्क पर प्रति माह 4 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है।

Newsletter

6. प्राधिकरण ने डीपीओ को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) पर टीवी चैनलों को रखने के लिए और अधिक लचीलापन दिया है और अधिदेश दिया कि एक श्रेणी में एक भाषा के चैनलों को ईपीजी पर एक साथ रखा जाएगा। इस तरह के ईपीजी लेआउट की सूचना भादूविप्रा को अनिवार्य रूप दी जाएगी और प्राधिकरण की अनुमति के बिना इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

7. संशोधनों में कार्यान्वयन के लिए हितधारकों को समुचित समय दिया गया है। प्रसारकों को अपनी वेबसाइट पर 15 जनवरी 2020 तक संशोधित अ–ला–कार्टे चैनलों और बुके के एमआरपी प्रकाशित करना जरूरी है और डीपीओ को 30 जनवरी 2020 तक अपनी वेबसाइट पर अ–ला–कार्टे चैनलों ओर बुकों की संशोधित डीआरपी को प्रकाशित करना आवश्यक है। उपभोक्ता 1 मार्च 2020 से प्रभावी संशोधित प्रावधानों के अनुसार लाभ प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

बहरहाल कुछ हितधारकों द्वारा विनियमों और टैरिफ आदेश के इन संशोधनों को अलग–अलग उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। फिलहाल, मामला विचाराधीन है।

https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_Tariff_Order_01012020.pdf

1.2 भादूविप्रा ने दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष (पांचवां संशोधन) विनियम, 2020 जारी किया।

दिनांक 15.06.2007 के मूल विनियम अर्थात् दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष विनियम, 2007 (2007 का 6) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं की अदावा राशि जमा करने, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष के अनुरक्षण और अन्य संबंधित पहलुओं के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क मुहैया कराते हैं। इन विनियमों के अनुसार, सेवा प्रदाता अदावा राशियों को इस कोष में जमा कर रहे हैं।

2. प्राधिकरण ने टिप्पणी की है कि ऐसी राशि जमा करने के बारे में सेवा प्रदाताओं के बीच स्पष्टता लाने की आवश्यकता है जिसे वे उपभोक्ताओं को वापस करने में असमर्थ हैं। इसलिए, यह महसूस किया गया कि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने और उपभोक्ता की किसी अदावा राशि को जमा करने को सुगम बनाने के लिए टीसीईपीएफ विनियम में संशोधन किया जाए।

3. इस संबंध में, 18.10.2019 को टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक मसौदा संशोधन जारी किया गया था। हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, आज, प्राधिकरण ने पांचवा संशोधन जारी किया। इस संशोधन से सेवा प्रदाता उपभोक्ता की किसी भी प्रकार की अदावा राशि को 12 माह या कानून द्वारा विहित समयसीमा, जो भी बाद में हों, के बाद कोष में जमा कर सकेंगे जैसे अतिरिक्त शुल्क, प्रतिभूति जमा, विफल एक्टीवेशन के प्लान प्रभार, या उपभोक्ता से संबंधित कोई भी राशि, जिसे सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को वापस करने में असमर्थ हैं।

4. विनियमों के पांचवें संशोधन को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर देखा जा सकता है।

https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Regulation_16012020.pdf

Newsletter

2. निदेश

2.1. भादूविप्रा ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाएं (सेवा की गुणवत्ता के मानक और शिकायतों का निवारण) विनियम, 2007 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड को 17.01.2020 को निदेश जारी किया है।

मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 8 जुलाई 2019 के निर्देश के जवाब में कहा है कि उन सभी उपभोक्ताओं को रिफंड दे दिया गया है, जो भादूविप्रा के पोर्टल के माध्यम से आए थे और जिन्होंने टाटा स्काई से संपर्क किया था। इसके अलावा, मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत जवाब की जांच करने पर यह पाया गया है कि यह विनियामक प्रावधानों की सही भावना के अनुरूप मामले का समाधान करने और डीटीएच क्यूओएस विनियम 2007 के गैर–अनुपालन के कारणों को बताने में विफल रहा है। इसलिए, प्राधिकरण ने मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड को निदेश दिया है कि: –

(1) 1 अक्टूबर 2018 से 5 दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान प्रभावित हुए सभी उपभोक्ता को रिफंड किया जाए, जिनसे भुगतान लिया गया था;

(2) प्राधिकरण को उन उपभोक्ताओं की एक सूची, रिफंड की राशि के साथ प्रस्तुत की जाएं, जिन्हें उपरोक्त पैरा (1) के तहत रिफंड किया गया है;

(3) उपरोक्त पैरा (1) के तहत उपभोक्ता को वापस नहीं की गई राशि को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष विनियम 2007 (2007 का 6) के प्रावधानों के अनुसार, भादूविप्रा के टीसीईपीएफ खाते में जमा करें।

https://main.trai.gov.in/sites/default/files/Direction_TataSky_17012020.pdf

2.2 भादूविप्रा ने सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को टीसीसीसीपीआर विनियम, 2018 के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने के लिए निदेश जारी किया है:

टीसीसीसीपीआर विनियम, 2018 में कोई भी व्यावसायिक संचार शुरू करने से पहले हेडर पंजीकरण के संबंध में विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं। विनियम में पहुंच प्रदाताओं द्वारा अपने नेटवर्क के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक संचार की अनुमति देने से पहले उनके द्वारा विकसित की जाने वाली कार्य संहित भी दी गई है।

प्राधिकरण ने देखा है कि इस संबंध में विनियमों का अनुपालन करने में पहुंच प्रदाता द्वारा कोई खास प्रगति नहीं की गई है। इसलिए, प्राधिकरण ने विनियम के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में 20 जनवरी 2020 को एक निदेश जारी किया है।

Newsletter

2.3 भादूविप्रा ने दिनांक 02.01.2020 के निदेश द्वारा पहले के निदेशों को वापस ले लिया है:

वर्ष 2012 में, दूरसंचार विभाग ने सभी अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के सेवा प्रदाताओं और राष्ट्रीय लंबी दूरी के सेवा प्रदाताओं, सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, बेसिक सेवा लाइसेंसधारकों, सीएमटीएस, यूएएसएल, यूएल व यूएल (वीएनओ) लाइसेंसधारकों, बीएसएनएल और एमटीएनएल को दूरसंचार क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए और उन्हें भादूविप्रा को अपने नेटवर्क संचालन के कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बताने का निर्देश दिया। तदनुसार, भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग के निर्देशों का पालन करने के लिए दिनांक 14.11.2013 और 18.11.2013 को निदेश जारी किए।

तत्पश्चात, दूरसंचार विभाग के दिनांक 23.11.2015 के पत्र के अनुसरण में, प्राधिकरण ने हरित दूरसंचार के उद्देश्यों को हासिल करने और दूरसंचार क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए 23.10.2017 को "सतत दूरसंचार के प्रति दृष्टिकोण" पर सिफारिशें जारी कीं। सरकार ने भादूविप्रा की सिफारिशों पर विचार किया और तदनुसार दूरसंचार विभाग ने सेवा प्रदाताओं को आवश्यक निर्देश जारी किए और साथ ही संलग्न अनुलग्नक के अनुसार प्रोफार्मा में दूरसंचार विभाग के डीजीटी विंग को उनके नेटवर्क संचालन के कार्बन फुटप्रिंट की रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया।

इस प्रकार, प्राधिकरण ने दिनांक 14.11.2013 और 18.11.2013 के अपने निर्देशों को वापस ले लिया है।

3. परामर्श पत्र

3.1 भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 2 जनवरी 2020 को 'नेट न्यूट्रैलिटी हेतु ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियां (टीएमपी) और मल्टी–स्टेकहोल्डर निकाय' पर एक परामर्श पत्र जारी किया:

यह परामर्श पत्र निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करता है:

- नेट न्यूट्रैलिटी के लिए ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियां (टीएमपी) और मल्टी–स्टेकहोल्डर निकाय से संबंधित मुद्दों पर विचार करना।
- इंटरनेट ट्रैफिक के मापन और उचित ट्रैफिक प्रबंधन पद्धतियों के संकलन की चुनौतियां।
- टीएमपी तैयार करने के लिए एक फ्रेमवर्क की स्थापना।
- विभिन्न मल्टी–स्टेकहोल्डर निकाय की संरचना, कार्य, गवर्नेंस संरचना से संबंधित मुद्दे।
- हितधारकों द्वारा लिखित टिप्पणियां भेजने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2020 और प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हो, के लिए 13 फरवरी 2020 थी।

https://main.trai.gov.in/sites/default/files/CP_02012020.pdf

Newsletter

3.2 ''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान" पर परामर्श पत्र

दूरसंचार विभाग ने 13 अगस्त 2019 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित) की शर्तों के तहत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के जरिये मोबाइल नेटवर्क के लिए बैकहॉल लिंक की अनुमति देने के लिए यूनिफाइड लाइसेंस और यूनिफाइड लाइसेंस वीएनओ समझौते के नियम एवं शर्तों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि अभी तक सेवा रहित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं और वॉइस सेवाएं बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा लाइसेंस के तहत दूर–दराज के क्षेत्रों में बीटीएस/मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए वीसैट क्षमताओं का उपयोग करने और सेलुलर बैकहॉल को अनुमति देने की आवश्यकता है।

इस संबंध में, 29 जनवरी 2020 को "वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थी।

https://main.trai.gov.in/sites/default/files/CP_29012020.pdf

Newsletter

4. खुला मंच चर्चा

4.1. भादूविप्रा, मुख्यालय, नई दिल्ली में 16.01.2020 को "फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए एक एकीकृत नंबरिंग योजना विकसित करना" संबंधी परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया ।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण ने 16.01.2020 को "फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए एक एकीकृत नंबरिंग योजना विकसित करना" संबंधी परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया।

4.2 'सेट टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी' संबंधी परामर्श पत्र पर ओएचडी:

29 जनवरी 2020 को भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में सेट टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी संबंधी परामर्श पत्र पर एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया ।

5. सेमिनार

5.1 भादूविप्रा ने 24.01.2020 को इंदौर (मध्य प्रदेश) में "भारत को 5जी समर्थ बनाना" पर सेमिनार आयोजित किया:

भादूविप्रा ने 24.01.2020 को होटल अमर विलास, चंद्र नगर, ए. बी. रोड़, इंदौर (मध्य प्रदेश) में ''भारत को 5जी समर्थ बनाना'' पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

2. सेमिनार में भादूविप्रा, दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), इंदौर के शोधार्थियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उपभोक्ता पथसमर्थक समूहों, शिक्षाविदों और उपभोक्ताओं ने भाग लिया।

3. श्री यू के श्रीवास्तव, प्रधान सलाहकार, भादूविप्रा ने इस अवसर पर मुख्य भाषण दिया। इस सेमिनार का मकसद भारत में मोबाइल संचार प्रौद्योगिकी–5 जी, उपयोग के विभिन्न मामलों, नेटवर्क संरचना, स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं, पॉलिसी फ्रेमवर्क, विनियामक चुनौतियों और निवेश संबंधी मुद्दों पर हाल में की गई प्रगति पर चर्चा करना है। शिक्षा, उद्योग क्षेत्र के इस विषय के विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रजेंटेशन प्रस्तुत की गई और चर्चा की गई थी।

24.01.2020 को इंदौर (मध्य प्रदेश) में "भारत को 5जी समर्थ बनाना" पर सेमिनार

Newsletter

6. कार्यशाला

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सीएजी, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और अन्य हितधारकों की क्षमता विकास के लिए रामेश्वरम (तमिलनाडु) में उपभोक्ता पथसमर्थक समूहों (सीएजी) की क्षमता निर्माण पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। क्षेत्रीय कार्यशाला में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ता पथसमर्थक समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भादूविप्रा द्वारा हाल के दिनों में उठाए गए विभिन्न कदमों पर चर्चा की।

इस कार्यशाला में सीएजी ने दूरसंचार उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने, विभिन्न उपभोक्ता शिक्षा गतिविधियों में भागीदारी और अपीलों के समाधान के बारे में अपने संगठनात्मक प्रयासों के बारे में जानकारी साझा की है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने प्रतिभागियों को उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण की दिशा में उठाए गए कदमों, उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों, बढ़ी हुई पहुँच के लिए विकसित किए गए विभिन्न मोबाइल ऐप के बारे में विस्तार से बताया।

7. अन्य सूचना

7.1 30 नवंबर, 2019 को दूरसंचार सब्सक्रिप्शन के आंकड़ें।

विवरण	वायरलैस	वायरलाइन	योग (वायरलैस+वायर लाइन)
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	647.33	18.66	665.99
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	507.26	2.63	509.89
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	1154.59	21.29	1175.88
समग्र टेली–घनत्व (%)	87.29	1.61	88.90
शहरी सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	56.07%	87.63%	56.64%
ग्रामीण सब्सक्रिप्शन का हिस्सा (%)	43.93%	12.37%	43.36%
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या (मिलियन में)	642.14	19.13	661.27

नवंबर, 2019 में पीक वीएलआर की तिथि पर सक्रिय वायरलैस उपभोक्ताओं की संख्या 979.09 मिलियन थी।

नवंबर, 2019 के दौरान, 4.88 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी के लिए अनुरोध किए। एमएनपी सुविधा शुरू होने से लेकर नवंबर, 2019 के अंत तक कुल 466.62 मिलियन उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं।

7.2 "टैरिफ ऑफर के प्रकाशन में पारदर्शिता'' संबंधी परामर्श पत्र पर टिप्पणी प्राप्त करने की समयसीमा बढ़ाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति।

17 दिसंबर 2019 को ''दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ मुद्दे" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से 28 फरवरी 2020 टिप्पणियां और 13 मार्च 2020 तक प्रति–टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था।

7.3 "दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ मुद्दे" संबंधी परामर्श पत्र पर टिप्पणी प्राप्त करने की समयसीमा बढ़ाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति।

27 नवंबर 2019 को "दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ मुद्दे" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से 7 फरवरी 2020 तक टिप्पणियां और 21 फरवरी, 2020 तक प्रति–टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया था।

8. कार्यक्रम

8.1 जनवरी, 2020 के दौरान, निम्नलिखित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए:

	स्थान	तिथि
1	खजुराहो (छतरपुर)	08.01.2020
2	अंबाला (हरियाणा)	09.01.2020
3	झुनझुनू (राजस्थान)	23.01.2020
4	नालंदा (बिहार)	23.01.2020
5	नोएडा (उत्तर)	31.01.2020

Newsletter

फोटो गैलरी

08.01.2020 को खजुराहो (छतरपुर) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

09.01.2020 को अंबाला (हरियाणा) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

23.01.2020 को झुनझुनू (राजस्थान) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

23.01.2020 को नालंदा (बिहार) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

31.01.2020 को नोएडा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

न्यूजलैटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों, परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन आंकड़ों आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट ***www.trai.gov.in*** पर भी उपलब्ध है।

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड़) नई दिल्ली–110002

हम फेसबुक पर भी हैं! आइये हमारे साथ!

https://www.facebook.com/TRAI/

हम ट्विटर पर भी हैं! आइये हमारे साथ! ***TRAI@TRAI***

Newsletter